

अध्यादेश का सारांश

इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019

- इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को 12 जनवरी, 2019 को जारी किया गया। यह अध्यादेश 26 सितंबर, 2018 को जारी किए गए इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को रिप्लेस करता है और उसका स्थान लेता है। बिल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में संशोधन करता है जोकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की स्थापना करता है। एमसीआई मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2018 (2018 के अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए) पारित किया गया था और वर्तमान में यह राज्यसभा में लंबित है।
- एमसीआई का सुपरसेशन:** 1956 का एक्ट एमसीआई के सुपरसेशन और हर तीन वर्ष की अवधि के बाद उसके पुनर्गठन का प्रावधान करता है। अध्यादेश एमसीआई के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष करने के लिए इस प्रावधान में संशोधन करता है। इस अंतरिम अवधि के दौरान केंद्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करेगी जोकि एमसीआई की शक्तियों का उपयोग करेगा।
- एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं जिनमें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यादेश इस प्रावधान में संशोधन करता है और बोर्ड के सदस्यों की संख्या सात से 12 करता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश के अनुसार, प्रामाणिक प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों को भी बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महासचिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एसिस्ट करेगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।